

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, रविवार, 15 अक्टूबर, 1995

अश्विन 23, 1997 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन) अनुभाग

संख्या एस०आर०-4012/11-95-218(18)-94-टी०सी०-1

लखनऊ, 22 सितम्बर, 1995

अधिसूचना

प०आ०-2317

रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (अधिनियम संख्या 16 सन् 1908) की धारा-5 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल इस निमित्त जारी की गई पूर्ववर्ती अधिसूचनाओं का आंशिक उपान्तर करते हुए जिला बलिया के उप जिला रसड़ा और बलिया की सीमाओं में परिवर्तन करके एक नया जिला बलिया में एक नया उप जिला बेल्थरा रोड का सृजन करते हैं और उप जिला बेल्थरा रोड, रसड़ा और बलिया की निम्न अनुसूची के स्तम्भ-3 में प्रत्येक के सामने दर्शित सीमाएं विहित करते हैं।

2— अग्रेतर राज्यपाल उपर्युक्त अधिनियम की धारा-7 के अधीन उप जिला बेल्थरा रोड में सब-रजिस्ट्रार कार्यालय स्थापित करते हैं।

3—यह अधिसूचना दिनांक 15 अक्टूबर, 1995 से प्रवृत्त होगी।

क्रम सं०	उप जिले का नाम	उप जिले की सीमाएं
1	2	3
1	बेल्थरा रोड	बेल्थरा रोड की राजस्व तहसील
2	रसड़ा	रसड़ा की राजस्व तहसील
3	बलिया	बलिया की राजस्व तहसील

आज्ञा से,
वी०के० दीवान,
प्रमुख सचिव ।